है इनमें से केवल 8 मिलों को मुख्त अर्थक्षम पाया गया था किन्तु उनमें से 7 के मामले बी०आई०एफ०आर० के पास हैं । नोडीय अभिकरण को शेष रुग्ण/कमजोर मिलों के मामलों की जांच करने के लिये पहले ही कह दिया गया है वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के लाभ अन्तिम परिसमापक के तथा आंशिक रूप से बन्द होने के मामलों में भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है मंत्रालय कच्चे माल की उपलब्धता तथा उसकी कीमतों पर कड़ी नजर भी रखती है और समय-समय पर आवश्यक उपाय करती है । राज्य सरकारों को पहले ही कह दिया गया है कि वे कामगारों की देयताओं का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें ।

श्रम मंत्रालय

अनधिकृत रूप से मिलें बन्द करने पर अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है और कामगारों की देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने के लिये समुचित विधायी व्यवस्था करने पर विचार हो रहा है ।

वित्त मंत्रालय

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण संबंधी मानदण्डों की समय/समय पर समीक्षा की जाती है और रुग्ण/कमजोर एककों के लिये समुचित रियायतें दी जाती हैं । देश में कपड़ों की तस्करी रोकने के उपाय सीमा शुल्क विभाग करता है । सरकार ने उत्पाद शुल्क में पहले ही पर्याप्त रियायतें वर्ष 1988-89 के बजट में दे दी हैं और शुल्क-ढांचे के प्रश्न की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

उद्योग मंत्रालय

महानगरीय क्षेत्रों में बिना प्रदूषण वाले औद्योगिक एककों की स्थापना

1126. **श्री मनोहर कोटे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरीय क्षेत्रों में बिना प्रदूषण वाले औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु समिति अनुमति देने के उद्देश्य से स्थान संबंधी प्रतिबंधों में, कुछ शर्तों के अध्यधीन पहले ही छूट दे दी गई है ; जहां तक अहमदाबाद में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बड़े एकक को स्थापित करने का संबंध है, इस बारे में प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

गुजरात स्थित एन०टी०सी० मिलों के अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

1127. **श्री मिर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के "अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी संघ" द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन मांग-पत्र का स्वरूप क्या है ; और

(ख) इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एन० टी० सी० मिलों के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी संघ (गुजरात) ने दिनांक 4-4-1989 के अपने अभिवेदन में केन्द्रीय डी०ए० पेटर्न के अनुसार गुजरात स्थित एन० टी० सी० मिलों के तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन मानों के संशोधन करने तथा एन०टी० सी० के अन्य अनुषंगी निगमों में उपलब्ध सभी प्रकार के लाभों और भत्तों को भी प्रदान करने की मांग की ।

(ख) गुजरात स्थित एन०टी०सी० मिलों के कर्मचारियों को वर्तमान वेतन-ढांचा क्षेत्र-सह-उद्योग आधार पर है । चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के बराबर करने आदि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के बाद ही संघ की उपर्युक्त मांग पर विचार किया जा सकता है ।